

20/7/23

पगावणी पेढ इमी। प्राचीणिण व वकील
प्राचीणिण अनुपस्थित। वार-वार आवाज
लगवायी गयी। आवाज लगवाने के उपरान्त
भी प्राचीणिण की उभरे ले कोई उपस्थित
नही हुआ। अतः प्राचीणिण का प्रथम पत्र
अस्थायी विषेधाना अदालत हाजरी अदालत पैरवी में
खातीज किया जाता है। पगावणी फैसला शुभ
होय नम्बर के कान होय दफ्तर वाकिल होय

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)